राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 16/2025 निगरानी

1. तेज कंवर पत्नी स्व. श्री विजय कुमार शर्मा निवासी शांति कॉलोनी, कांकरोली राजसमंद जिला राजसमंद

बनाम

1. रघुनाथ पिता मदनलाल लखारा निवासी चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. महावीर पिता मदनलाल लखारा निवासी चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. बाबुलाल पिता मोहनाल शर्मा, निवासी चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा हाल निवासी ई.एस.आई हॉस्पीटल शांति कॉलोनी कांकरोली तहसील राजसमंद
4. सरपंच, ग्राम पंचायत चिताम्बा तह–करेडा जिला भीलवाडा
5. तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

–निगराकार **–गैर निगराकार**

निगरानी अंतर्गत धारा–97 राज० पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत चिताम्बा तहसील करेडा द्वारा जारी बापी पट्टा संख्या 08/81 दिनांक 10.01.1983

उपस्थित – 1. श्री राकेश जैन, निगराकार की ओर से अधिवक्ता
2. श्री विनोद तिवाडी, गैर निगराकारान 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता
3. राजकीय पेरोकार, गैर निगराकार 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 04/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा यह निगरानी विरूद्ध गैर निगराकारान अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चिताम्बा में खाता संख्या 341 में वर्णित आराजी नं 1773, 1275, 1735, 1736, 1740, 1741, 1744 व अन्य आराजियात राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में प्रार्थीया व बाबुलाल पिता मोहनलाल के नाम पर 1/2 हिस्सा दर्ज है। विपक्षी संख्या एक व दो ने प्रार्थीया व विपक्षी संख्या तीन के संयुक्तः खाता सं. 341 में वर्णित खसरा सं. 1736 के सामने सरकारी अभिलेख में दर्ज रास्ता खसरा सं. 1313 रकबा 0.4932 हेक्टर में अनाधिकारपूर्वक पक्का निर्माण कार्य करना, नीवे आदि खुदवा कर निर्माण सामग्री इक्टठा कर के अवैध निर्माण कार्य प्रार्थीया के खेत आराजी नं. 1736 में उसके कास्त कार्यों में रूकावट बाधा उत्पन्न करते हुए चालू करवा दिया। वादीया वर्तमान में गाँव चिताम्बा में निवास नहीं कर रही है, क्योकि उसकी सरकारी नौकरी अध्यापिका के पद पर गाँव कुंवारिया तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद में कार्यरत है और कांकरोली

4.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

शहर में निवास करती है, प्रार्थीया को जानकारी होने पर प्रार्थीया गाँव चिताम्बा गई और मौके पर जाकर वस्तु स्थिति का पता लगा कर श्रीमान् सहायक कलेक्टर महोदय करेडा जिला भीलवाडा में 21–12–2022 को शिकायत कर मौके की स्थिति बाबत् निवेदन किया। जिस पर पटवारी हल्का चिताम्बा एवं रेवेन्यु इन्सपेक्टर चिताम्बा ने मौतबीरो की उपस्थिति में दिनांक 22.12.2022 को मौका पर्चा बनाया गया, जिसमें यह पाया गया कि विपक्षी संख्या एक व दो ने सरकारी गै. मू. रास्ते की भूमि आराजी नं. 1313 रकबा 0. 4932 हेक्टर भूमि में नीवे खोद कर प्रार्थीया की खातेदारी की खसरा सं. 1736 की तरफ 30 X 25 फीट में लगभ 3 फीट ऊचाई तक मकान निर्माण हेतु नीवे पक्की चुन ली गई, उक्त निर्माण के उत्तर में अपूर्ण नीवे भी खुदी हुई है, संबंधित अतिक्रमी को निर्माण करने से पाबन्द किया गया। विपक्षी संख्या एक व दो ने पटवारी साहब व राजस्व निरीक्षक की बात नहीं मानी फिर भी प्रार्थीया ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय माण्डल जिला भीलवाडा में वाद निषेधाज्ञा व उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माह जनवरी सन् 2023 में प्रस्तुत किया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय माण्डल के द्वारा भी रास्ते की भूमि पर निर्माण नहीं करने का स्थगन आदेश जारी कर दिया, परन्तु विपक्षीगण संख्या एक व दो ने निर्माण चालू रख कर और कहने लगे कि हमारे पास पट्टा है, न्यायालय में पट्टे की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई, जिससे जानकारी हुई, कि रास्ते की भूमि में अवैध पट्टा पंचायत चिताम्बा ने मिली भंगत कर बनवा लिया है। पट्टा नंबर नहीं है तथा पट्टा दिनांक 10–01–1983 का होना जाहिर होता है, इस बाबत पंचायत में पता करने पर ज्ञात हुआ कि विपक्षी संख्या चार ग्राम पंचायत चिताम्बा से कोई सहयोग नहीं मिला, रेकार्ड नहीं होना कह कर टालमटोल जवाब दे दिया गया। विपक्षी संख्या एक व दो अवैध तौर पर रासते की भूमि में निर्माण कार्य फर्जी व अवैध पट्टे के आधार पर करवा रहा है, पंचायत से पटा जारी नहीं किया गया है तथा यदि पट्टा दिया है तो भी आ.नं 1313 किस्म रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उक्त पट्टा फर्जी कूटरचित व काबिल निरस्त करने योग्य है। रास्ते की भूमि पर जारी किया गया पट्टा कानूनन अवैध है, पंचायत ने अपने अधिकार से परे जाकर कृत्य किया है। कथित फर्जी अवैध पट्टे की जानकारी माह सन् 2023 में प्रार्थीया के, द्वारा निषेधाज्ञा का दावा पेश करने पर प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से अपने पिता के नाम का पंचायत ने दिया जाना, बताने पर हुई, फर्जी पट्टे को चुनौती देने के लिये निगरानी करने मे कोई लिमिटेशन बाधित नहीं है। पंचायत वालो ने बहानेबाजी करने व काफी समय जाया किया और फिर वकीलो की हडताल हो गई, अभी भी मंत्रालयिक कर्मचारियो की हडताल है। निगरानी को अन्दर अवधि शुमार किया जाना विधि सम्मत है। प्रार्थना है कि प्रार्थीया की निगरानी निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत चिताम्बा के द्वारा विपक्षी संख्या एक व दो के पिता मदनलाल लखारा के पक्ष में जारी पट्टा पत्रावली सं. 8/81 पट्टा आदेश दिनांक 10.01.1981 को जारी किया हुआ है, जो रास्ते की भूमि का दिया है, उसे निरस्त किया जावे। अन्य कोई दाद जो विधि एवं न्याय अनुसार प्रदान की जा सके प्रदान की जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्राप्त।

जवाब जरिए विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात की जानकारी जवाबदार विपक्षीगण को नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं। निवेदन है कि जवाबदार विपक्षीगण ने आराजी संख्या 1313 में कोई पक्का निर्माण नहीं किया है, और रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। बल्कि जवाबदार विपक्षीगण ने अपने पिता को जारी बापी पटटा जो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10. 01.1983 को जारी किया गया है, उसी पटटे अनुसार निर्माण कार्य किया है तथा बापी पटटे की भूमि पर कई वर्षों से काबिज होकर आवासीय उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। निगराकार की आराजी संख्या 1736 एवं जवाबदार विपक्षीगण की बापी पटटेसुदा भूमि सटमा है, कहने का तात्पर्य यह है कि उक्त गाँव चिताम्बा में आराजी संख्या 1736 के उत्तर दिशा में जवाबदार विपक्षी का मकान है तथा इसी विपक्षीगण के मकान के पूर्व दिशा में फरीद भाई

4.5.26

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

का प्लॉट है तथा अन्य मकानात एक ही सरवेले में बने हुए है, जवाबदार विपक्षीगण के मकान के पश्चिम दिशा में 33 फिट चोड़ाई का रास्ता विद्यमान है, उक्त रास्ते से प्रार्थीया अपनी आराजी में आती–जाती है, जवाबदार विपक्षीगण ने ना तो रास्ते की कोई भूमि पर कोई निर्माण कार्य किया है और ना ही कोई अतिक्रमण किया है, बल्कि मौके पर उक्त 33 फिट चौड़ा रास्ता विद्यमान है। पटवारी हल्का चिताम्बा एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर द्वारा जो तथाकथित मौका पर्चा बनाया, जो पूर्ण रूप से सही तौर पर ना तो जरीब चलाकर नपती की गई और ना ही कोई मुश्तकिल बिन्दु से नाप–चौक प्रमाणित किया, बिना किसी आधार के जो मौका पर्चा बनाया वो केवल मात्र मौके पर जाकर आँखों से देखकर बनाया गया है, उक्त मौके पर्चे में कही भी नाप–चौक कहा से कहा तक एवं किस बिन्दु तक की गई, इस बिन्दु का वर्णन मौका पर्चा में अंकित नहीं किया गया है, मात्र अनुमानित आधार पर मौका पर्चा बनाया है, जो साक्ष्य का ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि निगराकार की आराजी एव गैरनिगराकार के पटटे की आबादी भूमि सटमा है तथा उक्त भूमि में कई मकानात एवं सरकारी आगनबाडी बने हुए है, उक्त मौका पर्चा निगराकार ने राजस्व ऐजेन्सी के कर्मचारीयों से मिलकर बनाया है तथा मौके पर कोई नाप चोक नहीं किए। निवेदन है कि जवाबदार विपक्षीगण ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया और ना ही कभी पटवारी अथवा राजस्व निरीक्षण ने जवाबदार विपक्षीगण को बापी पटटे में निर्माण नहीं करने बाबत पाबन्द किया हो। निगराकार द्वारा सिविल न्यायाधीश महोदय माण्डल में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है तथा वादपत्र सिविल न्यायालय में लम्बित होने से यह निगरानी श्रीमान् के न्यायालय में चलने योग्य नहीं है तथा उक्त पटटे बाबत जो भी विधिक पहलू से निर्धारण होना है वह सिविल न्यायालय माण्डल ही अपने यहाँ विचाराधीन वाद में तय करेगा, इसलिये यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगराकार को अपनी आराजी में आने–जाने हेतु पूर्ण रूप से जवाबदार विपक्षीगण के बापी पटटे के मकान के पश्चिम दिशा में 33 फिट चोडा रास्ता उपलब्ध है, परन्तु मात्र द्वेषतावश निगराकार ने यह निगरानी प्रस्तुत की है. जबकि जवाबदार विपक्षीगण के पिता को ग्राम पंचायत चिताम्बा ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जरिये पत्रावली संख्या 8181 दिनांक 10.01.1983 को बापी पटटा जारी किया गया है तथा उक्त पटटे की 661/– रूपये के रसीद भी जारी की गई है। उक्त बापी पटटा ग्राम पंचायत चिताम्बा द्वारा दिनांक 10.01.1983 को जारी किया गया जो पूर्ण वैधानिक कार्यवाही के पश्चात जारी किया गया है तथा उक्त पटटे की जानकारी पूर्ण रूप से निगराकार को है तथा निगराकार द्वारा मात्र रंजिशवश तथा अपनी आराजियात में मौके पर 33 फिट चोडाई का रास्ता विद्यमान होने के बावजुद जवाबदार विपक्षी को तंग व परेशान करने की नियत से यह निगरानी लगभग 43 वर्षों बाद प्रस्तुत की है, जो कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जवाबदार विपक्षीगण द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया गया है, वह वैद्य रूप से जारी सुदा पटटे अनुसार ही किया गया है तथा वर्तमान में उक्त पटटे की भूमि पर जवाबदार विपक्षीगण काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रहे है। उक्त पटटा विधिक रूप से जारी किया गया है, जिसे किसी प्रकार से फर्जी. कूटरचित नहीं कहा जा सकता है तथा उक्त पटटा पंचायत ने आबादी भूमि में जारी किया गया है, आराजी नम्बर 1313 में उक्त पटटा जारी नहीं किया है। उक्त पटटे बाबत मामला न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय माण्डल में विचाराधीन है, उससे पूर्व ही उक्त विचाराधीन मामले से पूर्व ही उक्त पटटे की निगराकार को पूर्ण जानकारी है, 43 वर्षों से भी अधिक समय से जारी बापी पटटे जो कि विधिक रूप से जारी किया गया है, को निरस्त किया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत नहीं है। निगराकार ने मात्र जवाबदार विपक्षीगण को परेशान करने एवं अपने बापी पटटे की भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित करने के प्रर्योजन से यह आधारहीन, बेबुनियाद एवं गलत तथ्यो को आधार बनाकर यह निगरानी पेश की है, उक्त आधारो पर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन, बेबुनियाद आधारो पर होने से सव्यय खारिज फरमायी जावे।

7.5.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिस उपरान्त यह जाहिर आया कि उक्त पट्टे बाबत् पूर्व में ही मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त निगरानी याचिका 43 साल बाद पेश की गई, जो मियाद बाहर ठहरती है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्त प्रकरण मियाद बाहर होने के अतिरिक्त वर्तमान में सिविल न्यायालय में जैरकार है जिसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा